अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान

(हिंदी अनुभाग)

अंसारी नगर,नई दिल्ली-29

दिनांक : 26.08.2016

फा.सं.7-1/2016-हिं.अ.

आदेश

विषय: संस्थान के विनिर्दिष्ट अनुभागों द्वारा पूरा काम हिंदी में करने संबंधी।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 11.10.2013 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हिंदी की स्थिति का जायजा लेने के लिए संस्थान का निरीक्षण किया गया था। संस्थान में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के मुद्दे पर विचार-विमर्श के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति को संस्थान द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुपालन में संस्थान में पूरा काम हिंदी में करने के लिए 10 अनुभाग विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 27.06.2016 को निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक के कार्यवृत्त की मद सं. 2 के क्रम सं.15 के तहत लिए गए निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित 10 अनुभागों को उनके सामने दर्शाए गए काम-काज को केवल हिंदी में करने हेतु पुन: विनिर्दिष्ट किया जाता है।

अत: उक्त आश्वासन एवं संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में संस्थान के निम्नलिखित अनुभागों को उनके लिए विनिर्दिष्ट कार्य को पूर्ण रूप से हिंदी में करने का, एतद्द्वारा, पुन: आदेश दिया जाता है:-

स्थापना अनुभाग (निदेशक कार्यालय/ डॉ.बी.आर.अ.सं.रो.कैं.अ./ हृ.तं. केंद्र/ डॉ. रा. प्र. केन्द्र/ दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र/ जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केन्द्र/राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र/ अस्पताल)	• सभी प्रकार के अग्रेषण पत्र/हिंदी में प्राप्त तथा हस्ताक्षरित सभी पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाए।
	• सभी अनुस्मारक हिंदी में जारी किए जाएं।
	• समूह "ग" कर्मचारियों के साथ पत्राचार केवल हिंदी में किया जाए।
	• समूह "ग" के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में की जाएं।
	• सभी प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी आदि कार्य हिंदी में किया जाए।
लेखा अनुभाग(निदेशक कार्यालय/ डॉ.बी.आर.अ.सं.रो.कैं.अ./हृ.तं. केंद्र/ डॉ. रा.प्र. केन्द्र/ दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र/ जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केन्द्र/राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र/ अस्पताल)	• सभी वेतन बिल हिंदी में तैयार किए जाएं।
	• सभी प्रकार की अग्रिम धनराशि जैसे भविष्य निधि, त्यौहार पेशगी, यात्रा भत्ता, बिल की अदायगी आदि संबंधी कार्य हिंदी में किया जाए। • सभी चैक हिंदी / द्विभाषी में जारी किए जाएं।
भंडार अनुभाग (अस्पताल)	• चिकित्सा व्यय वापसी संबंधी कार्य हिंदी में किए जाएं।
संपदा अनुभाग	• अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी मकान आबंटन आदेश तथा जवाहरलाल सभागार एवं डॉ. रामालिंगास्वामी सभागार आरक्षण एवं तत्संबंधी

Scanned by CamScanner

	समस्त कार्य हिंदी में किया जाए।
लेखन सामग्री अनुभाग (निदेशक कार्यालय/ डॉ. बी.आर.अ.सं.रो.कैं.अ./ हृ.तं. केंद्र/ डॉ. रा.प्र. केन्द्र/ दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र/ जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केन्द्र/ राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र/ अस्पताल)	• सभी प्रकार की स्टेशनरी की खरीद संबंधी कार्य हिंदी में किए जाएं।
परिवहन कार्यालय (निदेशक कार्यालय/ डॉ.बी.आर.अ.सं.रो.कैं.अ./हृ.तं.केंद्र/डॉ.रा.प्र.केन्द्र/ दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र/जे.पी.एन.ए.ट्रॉमा केन्द्र/ राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केन्द्र/ अस्पताल)	• डीजल/पैट्रोल/सी.एन.जी. आदि की खरीद संबंधी समस्त कार्य हिंदी में किया जाए।
कर्मचारी स्वास्थ्य योजना कार्यालय (ई.एच.एस.)	• कर्मचारी स्वास्थ्य योजना पुस्तिकाओं तथा रोगी पर्चियों पर लाभार्थियों के नाम आदि हिंदी में लिखे जाएं।
कैफेटेरिया	• कैफेटेरिया में बिलों संबंधी समस्त कार्य हिंदी में किया जाए।
छात्रावास अनुभाग	• छात्रावास आबंटन संबंधी समस्त कार्य हिंदी में निष्पादित किया जाए।
सुरक्षा कार्यालय	• सुरक्षा कार्यालय में किया जाने वाला समस्त सरकारी काम-काज हिंदी में किया जाए।

उपर्युक्त कार्यों में उनके सम्मुख दर्शाए गए विषयों के संबंध में टिप्पण, प्रारूप और पत्राचार आदि के लिए केवल हिंदी का ही प्रयोग किया जाए।

उपर्युक्त आश्वासन एवं राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा लिए गए उक्त निर्णय को विचार में लेते हुए उक्त आदेशों का संबंधित विभाग/अनुभाग द्वारा शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।

इसे आवश्यक अनुपालन हेतु जारी किया जाता है।

म. च. मिश्र

(डॉ.एम.सी.मिश्र)
निदेशक

वितरण:- उपर्युक्त विनिर्दिष्ट सभी अनुभाग।

प्रतिलिपि:

- सभी केन्द्र-प्रमुखगण/विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण।
- निदेशक/संकायाध्यक्ष/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- उप-निदेशक (प्रशासन)/वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/अधीक्षण अभियंता/वित्त सलाहकार महोदय के निजी सचिव।
- प्रभारी अधिकारी- कंप्यूटर सुविधा- इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया जाए।

श्री संजीव
पुरे कर्मा
२६.८.१६.

Scanned by CamScanner